न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 400–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 12–11–12 पारित अनुविभागीय अधिकारी, लवकुश नगर, जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 44/2011–12 अपील.

बाबूलाल उर्फ बब्बूवानी पुत्र रामनाथबानी
निवासी सरवई, तह0 गौरिहार,
जिला छतरपुर, म0प्र0

---- आवेदक

विरूध्द

1– गुड्डन पुत्री महेश्वरीदीन गुप्ता पत्नि रामदीन
2– श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री चुन्नीलाल
पत्नि अशोक गुप्ता
दोनों निवासी सरवई, तह0 गौरिहार,
जिला छतरपुर, म0प्र

–– अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक – आवेदक
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 20.5 – 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, लवकुश नगर, जिला छतरपुर के निगरानी प्रकरण कमांक

4423/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–11–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण ने नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–05–11 एवं 03–12–2010 से असन्तुष्ट होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 14–12–11 को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समयावधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदनपत्र विलम्ब को माफ करने हेतु प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 12–11–12 व्दारा आदेश की सूचना देने का अभिलेख में प्रमाण नहीं होने से धारा 5 का आवेदनपत्र स्वीकार किया। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया। आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदकगण को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी आदेश पारित करने के दिनांक से थी। विलम्ब को न्यायहित में तभी माफ किया जा सकता है, जब प्रत्येक दिन के विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण दिया गया हो। अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब माफी आदेश में किस कारण विलम्ब माफी योग्य है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। उनका यह भी तर्क है कि तहसील के 2 आदेशों के विरूध्द एक ही अपील ग्राह्य योग्य नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदकगण ने अभिलिखित भूमिस्वामी शिवप्रसाद से प्रश्नाधीन भूमि पंजीयत विक्रयपत्र व्दारा खरीदी है और इन विक्रयपत्रों के आधार पर राजस्व अभिलेख में उनका नाम भी दर्ज है, किन्तु शिवप्रसाद व्दारा जो भूमियॉ अनावेदकगण को विक्रय की जा चुकी थी, उस पर भी शिवप्रसाद की मृत्यु के बाद आवेदक का नाम

अंकित करने के आदेश तहसील न्यायालय ने दिये हैं। तहसील न्यायालय ने आदेश पारित करने के पूर्व अनावेदकगण को कोई सूचनापत्र तामील नहीं किया और ना ही आदेश पारित करने के बाद उन्हें सूचना दी गयी। तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर अनावेदकगण व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो जानकारी के दिनांक से समयावधि में है। उनका तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने बटवारा नियमों के पालन करते हुए बटवारे किये जाने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने पर बटवारा प्रकरण में नामान्तरण आदेश पारित किये गये हैं और दूसरा प्रकरण में फोती नामान्तरण किया गया है और दोनों प्रकरणों में प्रश्नाधीन भूमि एक–समान है, इसलिये दोनों आदेशों के विरूध्द एक–ही अपील प्रस्तुत की गयी है। उनका यह भी तर्क है कि यह आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 3–12–10 में स्वयं यह अंकित किया है कि खसरा नं0 1608/1, 1545/1, 1610/1, 1611/1, 1613/1, 1772/1, 1774/1 कुल किता 7 एकल रकबा 1.243 हे. गुड्डन पुत्री महेश्वरीदीन गुप्ता के नाम अंकित है। इसके बावजूद भी अनावेदक गुड्डन हितबध्द पक्षकार होते हुए भी उसे सूचनापत्र तामील कर सुनवायी का अवसर दिये बगैर नायब तहसीलदार ने पूर्ववत सहखातेदार बाबूलाल, शिवप्रसाद का नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये गये हैं। नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28–5–11 व्दारा शिवप्रसाद लाबल्द फोत होने से आवेदक बाबूलाल का प्रश्नाधीन भूमियों पर नामान्तरण स्वीकार किया है। अनावेदकगण ने प्रश्नाधीन भमि शिवप्रसाद से पंजीयत विकयपत्र व्दारा खरीदकर उस पर नामान्तरण किये जाने संबंधी दस्तावेज अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु नायब तहसीलदार व्दारा फोती नामान्तरण स्वीकार किये

जाने के पूर्व अनावेदकगण हितबध्द पक्षकार होते हुए भी उन्हें सूचनापत्र तामील करना व आदेश की संसूचना देना तहसील न्यायालय के अभिलेख से विदित नहीं होता। संहिता की धारा 47 के व्दितीय परन्तुक के अनुसार आदेश पारित करने के दिनांक की सूचना नहीं होने पर समयावधि की गणना आदेश की संसूचना के दिनांक से किये जाने का प्रावधान है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा विलम्ब को माफ कर अपील समयावधि में मान्य करने में कोई विधिक या प्रकिया संबंधी त्रुटि नहीं की गयी है। नायब तहसीलदार व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के बटवारा प्रकरण के प्रत्यावर्तन करने पर प्रश्नाधीन भूमि बाबूलाल एवं शिवप्रसाद के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं और तत्पश्चात शिवप्रसाद की मृत्यु होने से फोती नामान्तरण आदेश पारित किया गया है जिसमें प्रश्नाधीन भूमियॉ एक–समान हैं, इसलिये दोनों आदेशों के विरूध्द एक ही अपील प्रस्तुत करने से निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि न्याय का यह सर्वमान्य सिध्दान्त है कि पक्षकारों को न्याय प्रदान किया जाना चाहिये और पक्षकार को प्रकिया संबंधी त्रुटि के आधार पर न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12–11–12 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0